न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारी:–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –251/2011 (अपील)

GCMS No.2011/00045

1. छीतरलाल पुत्र मथुरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. रामजस पुत्र प्रताप जाति चमार निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–225 राज0टीनेन्सी एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 12.07.2011 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा मि0 नं0 7/2010 धारा 183–बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित–

1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक:–21.05.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने प्रार्थी रामजस पुत्र प्रताप जाति चमार के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में मि0नं0 07/2010 में दिनांक 12.07.2011 को निर्णय पारित किया कि– " अनुसूचित जाति की भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा सर्वथा अनुचित है । अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 पर से अप्रार्थी छीतरलाल आत्मज मथुरालाल जाति कुम्हार निवासी बनियानी को बेदखल किया जाता है एवं कब्जा प्रार्थीगण को संभलाया जाता है ।"
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अप्रार्थी अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 19.07.2011 को इस न्यायालय में अन्दर मियाद पेश की गई है कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा में अप्रार्थीगण के पिता व पति प्रताप पुत्र रतन निवासी बनियानी को ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की पुराने ख0नं0 1045 का अन कमाण्ड रकबा 15 बीघा आवंटित की गयी थी । आवंटित भूमि के नवीन खसरा नम्बर 1171 की 0.71 हे0 ख0नं0 1177 की 0.37 हे0 ख0नं0 1178 की 0.95 हे0 बनाये गये जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रामकल्याण, रामजस, रामस्वरूप पुत्रान प्रताप, मांगीबाई बेवा प्रताप चमार की गैर खातेदारी में दर्ज है । मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 1178 की 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 छीतरलाल अपीलांट के कब्जे की है तथा 0.39 हे0 पर सूरज बाई पत्नि मोहनलाल जाति जागा निवासी कैथून का कब्जा है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा विवादित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण रेस्पो0 के पिता प्रताप को कभी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे, ऐसी सूरत में रेस्पो0 के वारिसान को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था तथा उसके सभी वारिसान अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये गये । रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो कोई वाद प्रस्तुत किया मात्र अपना नाम लिखकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के रूप में दावा मानकर जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा विवादित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण रेस्पो0 के पिता प्रताप को कभी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे, ऐसी सूरत में रेस्पो0 के वारिसान को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था तथा उसके सभी वारिसान अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये गये । रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो कोई वाद प्रस्तुत किया मात्र अपना नाम लिखकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के रूप में दावा मानकर जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र वाद के समर्थन में कोई सशपथ बयान नहीं दिये है । ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय में वादी ही मेन्टेनेबल नहीं था, ऐसी सूरत में रेस्पो0 का वाद प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा गवाहों से साबित कर दिया था तथा रेस्पो0 वादी के द्वारा प्रस्तुत गवाहों द्वारा शुरू से ही विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा बताया है ऐसी सूरत में आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार रेस्पो0 को प्राप्त नहीं हुआ है । तथा उनकी खातेदारी का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जा चुका है । ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य था । अपीलांट भूमिहीन श्रेणी का काश्तकार है । अपीलांट ने विवादित भूमि को शुरू से ही बंजड से काफी मेहनत व पैसा लगाकर कृषि येाग्य बनाया है । अपीलांट विवादित भूमि का आवंटन व नियमन किये जाने की पात्रता रखता है । ऐसी सूरत में रेस्पो0 के पिता को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु धारा 14(4) आवंटन अधिनियम की कार्यवाही भी चाराजोही की जा रही है ताकि अपीलांट के कब्जे की भूमि की हद तक विवादित आवंटन निरस्त होने पर विवादित भूमि अपीलांट को नियमन व आवंटन हो सकें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि **ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 1045 की 15 बीघा नोन कमाण्ड क्षैत्र की भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता स्व0 प्रताप पुत्र रतन निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा को दिनांक 5.5.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी जो अप्रार्थीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी से दर्ज की गई जिसके नवीन खसरा नम्बर 1171 की 0.71 हे0 ख0नं0 1177 की 0.37 हे0 ख0नं0 1178 की 0.95 हे0 कायम किये गये । तत्पश्चात आवंटी अप्रार्थीगण के पिता के फौत होने पर उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थीगण वारिसान के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई । किन्तु खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 पर** अपीलांट **द्वारा जबरन कब्जा करने से** रेस्पोडेन्ट **द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष 183–बी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.7.2011 से प्रार्थी छीतरलाल को उक्त आराजी से बेदखली के आदेश किये गये** । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते में गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा अपीलांट सवर्ण जाति के व्यक्ति है एवं रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के होने से अपीलांट इस भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते है, तथा अपीलांटगण का कब्जा अवेधानिक व विधि विरूद्व होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट के तहत आदेश दिनांक 12.7.2011 से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये है, जो उचित है, अपील विधि विरूद्व होने से अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 12.07.2011 के विरूद्व अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है । अपीलांट का अपील में मुख्य कथन यह है कि रेस्पोडेन्ट के पिता प्रताप को ग्राम बनियानी में खसरा नम्बर 1045 की 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें नये खसरा नम्बर 1171, 1177, 1178 नये खसरा नम्बर बनाये गये, खसरा नम्बर 1178 की 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 पर

जिला कलेक्टर
कोटा

अपीलांट का कब्जा होना एवं निरन्तर काश्त करना बताया है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि रेस्पो0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण का व्यक्ति जबरन कब्जा काश्त नहीं कर सकता है । तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत 183–बी के तहत की गई कार्यवाही को उचित बताया है । हमने उभयपक्ष के तर्को का गंभीरता पूर्वक मनन किया, जिस अनुसार यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिन्हें सरकार की ओर से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी, किन्तु मौके पर खसरा नम्बर 1178 की 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 पर अपीलांट द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है, उक्त आवंटित भूमि पर रेस्पो0 की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के तहत तहसीलदार द्वारा अपीलांटगण को बेदखल करते हुए कब्जा रेस्पो0 को दिलाने हेतु आदेश दिनांक 12.7.2011 पारित किया है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । विधि के प्रावधान अनुसार कोई भी सवर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता है, इसके लिए काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य का कब्जा पाया जाता है तो सवर्ण के व्यक्ति को बेदखल कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कब्जा दिलाने का प्रावधान है, इन्हीं प्रावधानों का पालन तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किया गया है । अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.07.2011 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।
8. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा